(516)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.6(18)नविआ/3/90 दिनांक- 23-4-2003

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अजमेर ।

विषय:- समझौता समिति की बैठक दिनांक 5-1-2002 एवं दिनांक 6-5-2002 में भूमि के बदले 15 प्रतिशत भूखण्ड आवंटन के अनुमोदन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि न्यास समझौता समिति द्वारा निर्णित प्रस्तुत मामलों में से उन मामलों में 15 प्रतिशत विकसित भूखण्डों का आवंटन आपके स्तर पर किये जाने हेतु राज्यसरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवम् वर्तमान में प्रचलित प्रभावी परिपत्रों/आदेशों में कवर होने वाले प्रकरणों में एतद्द्वारा राज्यसरकार की स्वीकृति दी जाती है ।

ऐसा करते समय न्यास इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिन मामलों में दिनांक 21-9-99 के पूर्व 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड खातेदार/भू-स्वामी को उपलब्ध कराकर भूमि अवाप्ति की जा चुकी है, उन मामलों में 15 प्रतिशत विकसित भूमि का प्रावधान लागू नहीं होता है जैसा कि विभाग के परिपत्र दिनांक 21-9-99 द्वारा स्पष्ट किया हुआ है ।

भवदीय,

उपशासन सचिव

(37)
(46)